मंत्री परिषद की बैठक में राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय - सिंचाई परियोजनाओं के लिए 149 करोड रूपये से अधिक की स्वीकृति

खरगोन -। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जायेगा। योजना की अवधि 2 वर्ष (2023-24 एवं वर्ष 2024-25) की होगी। इन 2 वर्षों में योजना अंतर्गत 23 करोड़ 25 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी/शासकीय संस्थाओं से 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

मिलेट मिशन योजना की गतिविधियों का बडे पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मिलेट फसलों के उत्पादन, प्र-संस्करण एवं विपणन को ब?ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमीनार, फूड फेस्टीवल, रोड-शो किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मिलेट अनाज की फसलें कभी प्रदेश की खानपान की संस्कृति के केंद्र में थी। वर्तमान में इन फसलों के पोषक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इन फसलों की खेती प्रायः कम उपजाऊ क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ब?ने से मिलेट फसलों की माँग ब? रही है। कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसी फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं। इन मिलेट फसलों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इनको पोषक अनाज का दर्जा दिया गया है।

इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं। साथ ही इनमें वसा का प्रतिशत भी कम होता है, जिससे हृदय रोगी एवं डायबिटीज रोगियों के द्वारा इनका उपयोग सुरक्षित पाया गया है। इसलिए किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश में कोदो-कुटकी, ज्वार एवं रागी के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

साथ ही मिलेट फसलों के बढ़ते बाजार के दृष्टिगत मूल्य संवर्धन की संभावना भी काफी अधिक है। शासकीय कार्यक्रमों में जहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है। एक व्यंजन मोटे अनाज का रखा जायेगा। छात्रावास एवं मध्यान्ह भोजन में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था की जायेगी।

गेहूँ निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी संशोधन की स्वीकृति

मंत्रि–परिषद द्वारा गेहूँ निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी विभागीय अधिसूचना 7 अप्रैल 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी। संशोधन अनुसार प्रदेश के किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में निर्यात के उद्देश्य से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज ष्गेहूँष् पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने पर विचार किया जायेगा। मंडी फीस की प्रतिपूर्ति, अधिसूचित कृषि उपज ष्गेहूँष् की भुगतान पत्रक से क्रय की गई मात्रा पर प्राप्त होगी। देश के अन्य राज्यों से व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के अनुक्रम में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि जिन्स पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। मंडी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि का वहन मंडी बोर्ड के बजट प्रावधान के कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन मद से किया जावेगा।

ट्रांसजेण्डर को पिछडा वर्ग की सूची में शामिल करने की स्वीकृति

मंत्रि–परिषद ने ट्रांसजेण्डर को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के बाद क्रमांक 94 में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

उज्जैन में डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि–परिषद द्वारा डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 104 करोड़ 74 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3 हजार हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से उज्जैन के महिदपुर विकासखण्ड के 8 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि–परिषद द्वारा टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी (हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर से पोषित) परियोजना लागत 44 करो? 90 लाख रूपये, सैच्य क्षेत्र 3 हजार 700 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से ग्वालियर जिले के 27 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

अन्य निर्णय

मंत्रि–परिषद ने भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में प्राईस सपोर्ट स्कीम एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष में ग्रीष्मकालीन वर्ष 2021–22 (विपणन वर्ष 2022–23) में मूंग एवं उडद का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया।

भाजपा पिछडा वर्ग मोर्चा ने मनाई समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती

खरगोन। भारतीय जनता पार्टी पिछडा वर्ग मोर्चा के घर–घर चलो, गांव–गांव चलो अभियान अंतर्गत मंगलवार को जिला कार्यालय पर महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पिछडा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व इंदौर संभाग प्रभारी पूनमचंद पटवारे, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य परसराम चौहान, मोर्चा के जिला प्रभारी राजेंद्र भावसार, जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापूसिंह परिहार, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री मोहन राठौड़, जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार, नगर मंडल अध्यक्ष रणजीतसिंह रघुवंशी थे। मंचासीन अतिथियों ने भारत माता, दीनदयालजी, श्यामाप्रसाद जी व ज्योतिबा फुले के चित्र का पूजन किया। श्री पटवारे ने गांव–गांव चलो, घर–घर चलो अभियान अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने व महात्मा ज्योतिबा फुले की भांति समाज कल्याण का आह्वान किया। जिला प्रभारी श्री भावसार ने ज्योतिबा फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें पिछड़े, दलित, शोषित समाज व महिलाओं का उद्धारक बताया। श्री परिहार ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री पटेल ने मोर्चा की गतिविधियों से अवगत कराया। मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी अनिल कुशवाह ने बताया आज मंडल स्तर पर ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। संचालन अभियान के जिला संयोजक अभिषेक चौधरी ने किया व आभार श्री राठौड़ ने माना।

कलेक्टर ने व्हाटसअप को बनाया शिकायत निवारण का माध्यम

खरगोन– जनसुनवाई के दौरान जैतापुर की महिलाओं ने खुलेआम अवैध मदिरा विक्रय की शिकायत लेकर पहुँची। महिलाओं ने कहा कि मुन्नीबाई पति अजय चंदेल द्वारा अवैध रूप से शराब 6 माह से बेची जा रही है। समझाने पर अक्सर विवाद की स्थिति निर्मित होती है। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने उनकी शिकायत का फोटो लेकर आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी को पोस्ट कर दी। अधिकारी ने तुरंत शिकायत का संज्ञान लेकर दल को कार्यवाही के लिए मौके पर भेजा। प्रभारी आबकारी अधिकारी श्री सचिन भास्करे दल के साथ पहुंचे। उनके द्वारा मौके से अवैध शराब जप्त की गई। मुन्नीबाई के घर से 8 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जिसकी कीमत बाजार मूलय के अनुसार 800 रूपये हैं। उपनिरीक्षक सचिन भास्करे ने म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क के तहत 01 प्रकरण दर्ज किया कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना बनेगी सहारा

कलेक्टर श्री वर्मा की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई के दौरान पिपरी निवासी वृद्ध माता कृष्णा बाई ने आवेदन करते हुए बताया कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं और आवास के लिए योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन किया। कलेक्टर श्री वर्मा ने तुरंत जनसुनवाई के दौरान ही आर्थिक मदद करते हुए रेडक्रास के माध्यम से 5 हजार रुपये की सहायता प्रदान की। इसके अलावा सम्बंधित तहसीलदार को मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना के तहत कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।

जनसुनवाई के दौरान भगवानपुरा में बलख? बुजुर्ग के राधेश्याम कालू जांगड ने कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा से अपनी व्यथा बयान की। वे सीमांकन कर नक्शा बटांकन नक्शा चाहते है। इस कार्य के लिए कई बार पटवारी और तहसीलदार के पास भी गए। हर दिन लगभग 50 किमी. आने के बाद भी काम नहीं हो पाया है। कलेक्टर श्री वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भगवानपुरा तहसीलदार श्री मुकेश मचार को आवेदक राधेश्याम को दो दिनों में सीमांकन कर नक्शा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

चाकू की नोंक पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 04 अभियुक्त 12 घंटे में गिरफ्तार

खरगोन -जिलें मेंलगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने एवं अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री धरमवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री मनीष खत्री एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री मनोहर सिंह गवली के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया. जिसमें थाना प्रभारी बालकवाडा इंस्पेक्टर आरएस ठाकुर व चौकी प्रभारी सौनी विनोद पाटिल के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक जोगेंद्र पाटीदार, सहायक उपनिरीक्षक कैलाश पाटीदार, आरक्षक नीरज यादव, आरक्षक अनिल कुशवाहा को शामिल कर निर्देश दिये गये। अभियुक्तों का सामान एकत्र करने के लिए।

9 अप्रैल को शिकायतकर्ता वीर बहादुर पिता महेन्द्र पंडित उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम/चौकी नरियारवा, थाना तुरकोलिया जिला मोतिहारी (बिहार) हाल मुकाम डेक्सट्ज मक्का कंपनी पनवा ने चौकी खलताका थाना बलकवाडा में सूचना दी थी कि 9 अप्रैल को रात के लगभग 08.50 बजे हरसिद्धि कॉलोनी के सामने कसरावद रोड पर बिना नंबर की डीलक्स मोटर साइकिल पर कसरावद फाटे की तरफ से चार अज्ञात बदमाश आए और मोटर साइकिल ख?ी कर फरियादी व उसके साथी अनिल के साथ मोबाइल लूटने का प्रयास किया, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बचाव के दौरान बदमाश ने फरियादी को चाकू मार दिया। कार ने उसे घायल कर दिया और इसी बीच मोटरसाइकिल सवार दो अन्य बदमाशों ने फरियादी के साथी अनिल से उसका मोबाइल छीन लिया। तभी चारों बदमाश मोटर साइकिल पर सवार होकर वहां से भाग गए। फरियादी की सूचना पर बालकवाडा थाने में अपराध क्रमांक 138, 23 भादवि की धारा 394 को संज्ञान में लिया गया।

श्री पुलिस अधीक्षक ने गंभीर घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल एक टीम गठित की, जिसमें थाना प्रभारी बलकवा?ा निरीक्षक आरएस ठाकू व चौकी प्रभारी विनोद पाटिल ने पुलिस टीम को सूचना तंत्र की जानकारी दी। पुलिस माल व आरोपियों की बरामदगी के लिए। लूट के आरोपितों की तलाश के लिए मुखबिरों को सक्रिय कर लगाया गया है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी लखन पिता शंकर निहाले जाति बलाई उम्र 24 वर्ष निवासी साला लुन्हेरा खुर्द थाना धरमपुरी, मिथुन पिता सुखलाल चावले जाति बलाई उम्र 30 वर्ष निवासी साला पुनरवास, लुन्हेरा खुर्द थाना धरमपुरी, अजय पिता मोहन मुजाल्दा द्वारा उम्र 21 वर्ष निवासी साला पुनर्वास, लुन्हेरा खुर्द थाना धरमपुरी व राजा पिता सुरेश मोये जाति बलाई उम्र 22 वर्ष निवासी गांव लुन्हेरा खुर्द ने अपराध स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त लूटे गए 02 मोबाइल व चाकू बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पीआर पेश किया। पुलिस ने लाखन पिता शंकर निहाले जाति बलाई उम्र 24 वर्ष निवासी साला लुन्हेरा खुर्द थाना धरमपुरी, मिथुन पिता सुखलाल चावले जाति बलाई उम्र 30 वर्ष निवासी साला पुनर्वास सुनहेरा खुर्द थाना धरमपुरी, अजय पिता मोहन मुजालदा जाति मानकर उम्र 21 वर्ष निवासी साला पुनर्वास लुन्हेरा खुर्द थाना धरमपुरी तथा राजा पिता सुरेश मोये जाति बलाई उम्र 22 वर्ष निवासी गांव लुंहेडा खुर्द को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से दो मोबाईल फोन ओपा ए31 और इनफिनिक्स हॉट 8 और घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया है।

रात भर गस्त का मिला परिणाम

मुरम उत्खनन में एक जेसीबी तीन ट्रेक्टर और रेत परिवहन करते एक हायवा को पहुँचाया थाने

खरगोन-सोमवार रात में खनिज विभाग के अधिकारी उनके दल के साथ रातभर गस्त करने से बडी कामयाबी मिली। खनिज अधिकारी श्री सावन चौहान ने बताया सोमवार कि रात वो और उनके दल द्वारा बड़वाह क्षेत्र में रात भर गस्त करते रहे। इस दौरान लगभग रात एक बजे बलवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बागोद के पास एक शासकीय पहाडी पर मुरम के उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई। खनिज अधिकारी और दल सीधे मौका स्थल पर पहुँचे जहां एक जेसीबी मुरम का अवैध उत्खनन कर रही थी। साथ ही तीन ट्रेक्टर मुरम भरवा रहे थे। जेसीबी और तीन ट्रैक्टरों को टीम ने तत्काल जप्त कर थाना बलवाडा की अभिरक्षा में खडा करवाया।

उसके पश्चात खनिज अधिकारी बलवाडा से होते हुए बडवाह काटकूट फाटक के पास पहुँचे जहां लगभग दो बजे एक हायवा रेत का ओवरलोडिंग करते हुए पकडा। जिन्हें भी जप्त कर थाना बडवाहा की अभीरक्षा में खडा करवाया इस प्रकार कुल एक जेसीबी तीन ट्रेक्टर और एक हायवा पाँच वाहनो को जप्त किया तथा उनके विरुद्ध मप्र खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।